संख्या-4/2019/88/71-2-2019-34/2018

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सुपर स्पेशियलिटी कैंसर इंस्टीटयूट एण्ड हास्पिटल,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 24 जनवरी, 2019

विषयः- वित्तीय वर्ष 2018-19 में संस्थान के ओ0पी0डी0 ब्लाक को क्रियाशील करने हेतु आवश्यक फर्नीचर की व्यवस्था किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एस0एस0सी0आई0/डी0आई0आर0/2018-19/जी-29/13, दिनांक 14 जनवरी, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संस्थान के ओ0पी0डी0 ब्लाक को क्रियाशील करने हेतु ई-जेम पोर्टल के माध्यम से फर्नीचर क्रय हेतु फर्नीचर की सूची उपलब्ध कराते हुए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत संस्थान हेतु मानक मद-26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयत्र मद में प्रावधानित धनराशि को उपर्युक्त पत्र दिनांक 14.01.2019 में उल्लिखित फर्नीचर को क्रय किये जाने हेतु रू0 316.2198 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 158.1099 लाख (रूपये एक करोड़ अट्ठावन लाख एक हजार निन्यानवे रूपये मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

1) फर्नीचर का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय किया जायेगा।
2) वास्तविक आवश्यकता/उपयोगिता के आधार पर ही सम्बन्धित उपकरणों के क्रय की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।
3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा, जब उपकरण क्रय संबंधी समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति संस्थान द्वारा कर ली जाये।
4) स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर आदि में किसी भी दशा में नहीं रखा जायेगा।
5) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30-3-2018 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।
6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय, आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।
7) प्रस्तावित उपकरणों की मात्रा उनकी गुणवत्ता, मानक एवं तकनीकी विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, संस्थान की होगी।
8) उपकरण क्रय किये जाने से पूर्व वित्त अधिकारी द्वारा सम्बन्धित विभागाध्यक्ष से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेगें कि प्रस्तावित उपकरण किसी एक विशेष कम्पनी की विशिष्टियॉ न हो तथा बाजार में उपलब्ध उच्च स्तर की कम्पनियों की विशिष्टियों (Technical Specifications) का यथासम्भव समावेश किया जाये।
9) उ0प्र0 के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में सामग्री एवं सेवाओं के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) की व्यवस्था लागू किये जाने हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग के शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 23 अगस्त 2017, शासनादेश संख्या-12/2017/540/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 25 अगस्त 2017तथा शासनादेश संख्या-14/2017/552/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 29 अगस्त 2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

10) उक्त उपकरणों का क्रय किए जाने के सम्बन्ध में समस्त औपचारिकताएं नियमानुसार पूर्ण किए जाने के पश्चात्, यदि उपकरण क्रय के पश्चात् धनराशि की बचत होती है तो उसके सापेक्ष अन्य उपकरण क्रय किये जाने हेतु उपकरणों की अतिरिक्त सूची पर शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

11) संबंधित उपकरण/संयंत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा निर्गत ई-टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेन्ट/गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल से संबंधित शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12) उपकरणों का क्रय सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर किया जायेगा। किसी भी स्थिति में स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा।

13) उपरोक्तानुसार अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (क्रयादेश/उपकरण स्थापना की सूचना सहित) यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

4- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक, सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान एण्ड हास्पिटल, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक अनुमान अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के पूंजी लेखा लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-59-कैंसर संस्थान, लखनऊ-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र'' के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
सचिव ।

संख्या-4/2019/88(1)/71-2-18-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3) कोषाधिकारी, लखनऊ ।
4) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
5) वित्त अधिकारी, सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ।
6) वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/समाज कल्याण विभाग (बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ)।
7) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in